26/बी–1/दो,
सत्र, 2026
[21/7/2026]
(4)
प्रश्न सं. [क्र. 669]

परिशिष्ट "अ"
तारांकित प्रश्न क्रमांक 669
माननीय विधायक श्री पंकज उपाध्याय

कार्यालय पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना (म0प्र0)

E-mail : sp_morena@mppolice.gov.in,कार्या.फोनः (07532) 232200, फैक्स–(07532) 227748

क्रमांकः– पुअ./मुरैना/शिका/पुमु/75/2024 दिनांकः 17/06/2026

प्रति,

सहायक पुलिस महानिरीक्षक,
(शिकायत)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

विषयः– आवेदक माननीय विधायक श्री पंकज उपाध्याय निवासी गणेश बिहार कॉलौनी शक्कर फैक्ट्री के पास कैलारस, जौरा, जिला मुरैना के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन।

सन्दर्भः– आपका पत्र क./पुमु/शिका/चं0/04/आर–93/3372–1/26 दिनांक 12.03.2026 एवं 04/एफ–136/5297/26 दिनांक 16.04.2026, 175/4614/25 दि. 02.12.25।

----000----

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयांकित आवेदक माननीय विधायक श्री पंकज उपाध्याय निवासी गणेश बिहार कॉलौनी शक्कर फैक्ट्री के पास कैलारस, जौरा जिला मुरैना द्वारा प्रस्तुत शिकायती आवेदन पत्र की जॉच **अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) जौरा** से कराई जाकर प्रतिवेदन प्राप्त कर अवलोकन किया गया, पाया कि थाना जौरा के अपराध क. 719/23 में अपहरण, मारपीट एवं लूट की घटना की विवेचना में विलम्ब एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने के संबंध में लेख किया है।

शिकायत जॉच के दौरान जॉचकर्ता द्वारा थाना प्रभारी थाना जौरा से प्रतिवेदन प्राप्त किया, जिसमें लेख है कि दिनांक 18.11.23 को आवेदक विनोद कुमार दुबे पुत्र श्री रतनलाल दुबे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्लॉक पहाडगड नि. पहाडगढ तहसील जौरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र जांच से मुलायम सिहं सिकरवार व आठ दस अन्य के विरूद्व प्रथम दृष्टया अपराध घटित करना पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किये जाने हेतु शिकायत जांच प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र क्र./एसडीओपी/जौरा/2341/23 दिनांक 30.11.23 के माध्यम से मय शिकायती आवेदन पत्र 01, कथन आवेदक 01, आवेदक की एमएलसी रिपोर्ट की छायाप्रति 01 सहित प्रेषित किया गया। जिस पर से थाना जौरा में दिनांक 30.11.2023 को **अप. क. 719/23 धारा 365, 342,294,323,506बी मादवि** का आरोपी मुलायम सिहं सिकरवार नि. रजौधा व आठ–दस अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान **फरियादी विनोद कुमार दुबे** से पूछताछ कर कथन लेख किये गये जिन्होने अपने कथनों में बताया कि घटना दिनांक को रात्री एक बजे करीबन मुलायम सिकरवार अपने साथियों के साथ दिलीप गुर्जर के घर गाड़ियों से जाना और उनकी मारपीट करते हुए एवं गालियां देते हुए पकड़कर ले गया। फरियादी विनोद दुबे से आरोपीगण के द्वारा फरियादी के जेब में रूपये रखकर विडियो बनाये जाने वाले रूपये प्रस्तुत करने पर जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गयां। सीडीआर के मुताबिक दिनांक 16.11.23 के 23.13 से दिनांक 17/11/23 के 01.14 बजे तक फरियादी के मोबाईल नम्बर की टावर लोकेशन कैलारस की रही है।

साक्षीगण दीवान सिंह गुर्जर व शत्रुघन गुर्जर से पूछताछ कर कथन लेख किये गये, जिन्होने अपने कथनों में विनोद कुमार दुबे रात 01 बजे दिलीप गुर्जर के घर आ गया था सभी खाना

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
(पुलिस) विभाग

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

5

पीना खाकर सो गये थे। रात 01.30 बजे दिलीप गुर्जर के मकान की कुन्दी कुछ लोगों ने खटखटाई तब दिलीप ने दरवाजा खोला तो 8–10 लोग घर के अन्दर घुस आये और बिनोद दुबे व दिलीप गुर्जर को पकड़कर ले गये उक्त लोगों में से किसी को नहीं पहचानना बताया है।

विवेचना के दौरान साक्षी आर. 316 सतेन्द्र गुर्जर एवं प्र. आर. 197 मुन्नालाल शर्मा थाना चिन्नोनी के कथन लेख किये गये है। जिन्होने बताया कि रात 04 बजे बिनोद दुबे थाने के चैनल गेट के पास खड़ा था। वहां अन्य कोई नहीं था। विनोद से पूछा तो उसने बताया कि कुछ लोग, दिलीप गुर्जर के मकान जौरा से पकड़कर लाये है। मेरे जेब में जबरदस्ती 500–500 के नोट की गड्डी रख दी है और मारपीट की है। वे लोग कह रहे थे। कि तुम चुनाव में पैसे बांट रहे है। 5 बजे विनोद दुबे थाना से चला गया था।

विवेचना में विवेचक द्वारा साक्षी तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत जाटव से पूछताछ कर कथन लेख किये गये। जिन्होने अपने कथनों में बताया कि दिनांक 17.11.23 को थाना चिन्नोनी में प्रभारी के पद पर पदस्थ होना तथा दिनांक17.11.23 के रात करीबन 3–4 बजे आर. 316 सतेन्द्र सिंह व्दारा फोन पर बताया कि बिनोद दुबे निवासी पहाड़गढ़ थाना के बाहर बदरबास स्थिति में खड़ा है। और कुछ बोल नहीं पा रहा है। और तब मैने उसके परिजन को फोन कर दिया है। वो बिनोद दुबे को लेने आ रहे है। कुछ समय बाद उसके परिजन उपस्थित हुए आर. सतेन्द्र सिंह व्दारा फोन बिनोद दुबे को पानी मांगने पर पानी पिलाया चूंकि उस समय वह बदरबास स्थिति था। एवं ठीक से बोलने की स्थिति में नहीं था। इसके उपरान्त उसके परिजन थाना उपस्थित आये और बिनोद दुबे को अपने साथ ले गये किसी भी घटना के संबंध में चिन्नोनी थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं करायी थी। यह बात आरक्षक सतेन्द्र ने फोन पर बतायी थी।

प्रकरण के विवेचक द्वारा थाना चिन्नौनी से घटना दिनांक समय की सीसीटीव्ही फुटेज प्रदाय करने हेतु पत्राचार किये जाने पर थाना चिन्नौनी द्वारा प्रेषित पत्राचार में दिनांक 17.11.23 के रात्रि 1.00 बजे से 4.00 बजे तक की सीसीटीव्ही फुटेज बिजली न होने से सीसीटीव्ही कैमरे बंद हो जाने से फुटेज उपलब्ध नहीं है, होना लेख किया गया।

प्रकरण में साक्षी दिलीप गुर्जर, श्रीमति कमलेश गुर्जर व मधु गुर्जर से पूछताछ कर कथन लेख किये गये साक्षी दिलीप गुर्जर ने अपने कथनों में बताया कि आरोपी मुलायम सिकरवार के साथ अक्कू सिकरवार निवासी बिड़ौरा; विपिन सिकरवार निवासी भर्रा, गोबिन्दा उपाध्याय निवासी जौरा, विवेक त्यागी निवासी अगरौता व अन्य लोग जो मुंह बांधे थे, घटना में शामिल होना बताया।

प्रकरण में अभी तक की विवेचना के दौरान लूट एवं हत्या के प्रयास संबंधी साक्ष्य नही पाये गये है। प्रकरण के फरियादी विनोद कुमार दुबे का मेडीकल परीक्षण सीएचसी जौरा में दिनांक 17.11.2023 के 09:30 बजे डॉक्टर राम गुप्ता द्वारा किया गया, जिन्होने फरियादी को गंभीर चोट न होकर साधारण चोट होना लेख किया है।

प्रकरण के आरोपी मुलायम सिंह सिकरवार निवासी ग्राम रजौधा की गिरफ्तारी हेतु कार्यालयीन पत्र कमांक/पुअ/मुरैना/अअवि/एडी/33/2024 दिनांक 12.06.2024 के माध्यम से 2500/– रूपये की ईनाम घोषित किया गया है।

उक्त अपराध के सम्बन्ध में थाना प्रभारी जौरा को विधानसभा क्षेत्र क्र. 04 जौरा के पूर्व विधायक श्री सूबेदार सिंह रजौधा द्वारा शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके भतीजे मुलायम को फरार घोषित कर ईनाम घोषित कराया गया है और अपने कार्यकर्ताओं के विरूद्ध झूठा प्रकरण दर्ज होने की घटना की सही तस्दीक करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व विधायक सूबेदार सिंह के कथन लेख किये गये जिन्होने अपने कथनों में राजनैतिक प्रतिद्वंदता से झूठा अपराध पंजीबद्ध कराया जाना लेख कराया गया है तथा साक्षी दिलीप गुर्जर द्वारा अपने कथनों में आरोपी मुलायम के साथ घटना में शामिल बताये गये विवेक त्यागी एवं विपिन सिकरवार, अक्कू सिकरवार से पूछताछ कर कथन लेख किये गये जिन्होने अपने अपने कथनों में घटना में सम्मिलित होने से इंकार करते हुए राजनैतिक द्वेष भावना से अपराध पंजीबद्ध कराया जाना लेख कराया है।

Scanned with CamScanner

विवेचना में विवेचक द्वारा आरोपी मुलायम सिंह सिकरवार के मोबाईल नम्बर 9098870518 की सीडीआर प्राप्त की जिसकी दिनांक 16.11.2023 के 23.32 बजे ग्राम रामसिंह का पुरा तहसील जौरा, दिनांक 17.11.2023 के 00.18 बजे गैपुरा पोस्ट सिकरौदा तहसील जौरा, दिनांक 00.20.17 बजे मैन टेलीफोन एक्सचेंज जौरा, दिनांक 17.11.2023 के 1.00 बजे रूबी फर्नीचर तिकोनिया पार्क मुरैना, दिनांक 17.11.2023 के 1.01.28, 1.01.43, 01.02.11, 01.10.25, 1.14.44, 01.15.48 बजे रूबी फर्नीचर तिकोनिया पार्क जौरा में होना पायी गयी व दिनांक 17.11.2023 के 2.17.52, 2.18.38, 2.19.03 बजे ग्राम कोल्हूडाढ़ा पोस्ट मोहनपुर तहसील जौरा होना पायी गयी।

विवेचक/थाना प्रभारी जौरा द्वारा उक्त अपराध सदर में जिला लोक अभियोजन अधिकारी से विधिक अभिमत चाहे जाने पर जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्र क्र. /डीपीओ/मुरैना/वि0अ0/ 01–ए/2025 दिनांक 08.01.2025 के माध्यम से प्रस्तुत विधिक अभिमत में "प्रकरण में आरोपी मुलायम सिंह एवं विवेचना के दौरान प्रकट आरोपीगण अप्पू सिकरवार, विपिन सिकरवार, गोविंदा उपाध्याय, विवेक त्यागी की कॉल डिटेल एवं कैफ रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की गई हैं जिनसे आरोपीगण का घटना के समय घटना स्थल या उसके आस–पास उपस्थिति/अनुपस्थिति का तथ्य प्रमाणित हो सके। प्रकरण में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के कारण झूठा प्रकरण दर्ज कराये जाने के संबंध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। उक्त बिन्दुओं की साक्ष्य अनुसंधान में संकलित कर विवेचक अपना निष्कर्ष अवधारित कर निष्कर्ष के बिन्दु पर वरिष्ट अधिकारियो से अनुमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जावे" लेख किया गया।

सम्पूर्ण जॉच से पाया कि आवेदक श्री पंकज उपाध्याय विधायक, जौरा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में थाना जौरा में दिनांक 30.11.2023 को **अप. क्र. 719/23 धारा 365, 342,294,323,506बी भादवि** का आरोपी मुलायम सिहं सिकरवार नि. रजौधा व आठ–दस अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। **थाना प्रभारी जौरा को आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में गहनता से विवेचना कर प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रकरण की निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है।** प्रकरण विवेचनाधीन है।

प्रतिवेदन कृपया अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

धर्मराज
(भा.पु.से.)
पुलिस अधीक्षक
मुरैना (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner